

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा धारा 82 Cr.PC देखिये

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **विक्की शर्मा** पुत्र श्री रविन्द्र शर्मा, पता— आवारागर्द, फूटपाथी, साईकल मार्केट, चाँदनी चौक, दिल्ली ने **मु.अ.सं. 03/2021** दिनांक **08.01.2021** को धारा **3RP(UP) Act** के अन्तर्गत रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट दिल्ली मेन के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त विक्की शर्मा यहाँ नहीं रहता है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया है कि विक्की शर्मा फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामिल से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)।

अतः इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि उक्त विक्की शर्मा से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **02.08.2023** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार

Chatinder Singh

महानगर मजिस्ट्रेट, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

1439/2023

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ